भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1691
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

झारखंड में उड़ान प्रशिक्षण संगठन

1691. श्री विजय कुमार हाँसदाकः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/डीजीसीए का झारखंड में उड़ान प्रशिक्षण संगठन और ग्लाइडिंग प्रशिक्षण संगठन की स्थापना करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एफटीओ/जीटीओ प्रतिष्ठान की स्वीकृति के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और यह स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है; और
(घ) क्या सरकार ने विलंब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार पाँच चरण की प्रमाणन प्रक्रिया का पालन करके उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) को अनुमोदित करता है। इन विनियमों के आधार पर, इच्छुक संगठन/व्यक्ति नए एफटीओ की स्थापना के लिए डीजीसीए के समक्ष आवेदन करता है।

डीजीसीए को अप्रैल 2023 में झारखंड उड़ान संस्थान से एक नया एफटीओ स्थापित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है और वर्तमान में यह एफटीओ प्रमाणन प्रक्रिया के चरण – 3 में है।
